66

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग - 3744 - I - 16

1. राजेन्द्र सिंह
2. विशाल सिंह
3. रामवरन सिंह

पुत्रगण परिमाल सिंह निवासीगण – पठानपुरा मौजा सरसैनी तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र गजाधर जाति निवासी ग्राम पठानपुरा मौजा सरसैनी तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.

.... अनावेदकगण

2. निहाल सिंह
3. फूल सिंह
4. महेनद्र सिह
5. सेठी सिंह
6. अशोक सिंह

पुत्रगण चंदन सिंह

7. मु.विट्टो देवी बेवा चंदन सिंह
8. रामवती पुत्री चंदन सिंह
9. जण्डेल सिंह
10. बाबू सिंह

पुत्रगण फतेह सिंह

11. सुमा बेवा महेशसिंह
12. मु. केदार पत्नी परिमाल सिंह
13. रामसनेही
14. चितवती
15. मुन्नीबाई

पुत्रीगण परिमाल सिंह जाति सिकरवार निवासीगण पठानपुरा मौज सरसैनी तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.

.... पूरक रेस्पोडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जौरा जिला मुरैना में प्रकरण क्रमांक 25/ 15–16 अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 के विरूद्व।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, रेस्पोडेंट क्रमांक 1 एवं उनके भाई स्व. परिमल सिंह ने ग्राम सरसैनी तहसील जौरा की भूमि सर्वे नं.141/ 4.180 , 349/ 1.448, 1601/ 0.048, 1784/0.282, 335/ 0.303 , 1565/ 0. 314, 1567/ 0125, 1582/ 0.376 , 1572/2 / 0.230 का आपसी बंटवारा किये जाने हेतु तहसील न्यवायालय में म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
2. यहकि, तहसीलदार महोदय ने उक्त प्रकरण में 4/ 06–07 अ–27 पर दर्ज की गई तथा दिनांक 10.01.2007 को रेस्पोडेंट क्रमांक 1 का बंटवारा आवेदन निरस्त किया गया ।
3. यहकि, रेस्पोडेंट क्रमांक 1 ने तहसीलदार न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2007 के विद्व अनुविभागीय अधिकारी जोरा के विरूद्व अवधि बाह्य अपील प्रस्तत की तथा रेस्पोडेंट क्रमांक 1 ने अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया गया ।
4. यहकि, प्रार्थीगण ने रेस्पोडेंट क्रमांक 1 में धारा 5 का विधिवत जबाब प्रस्तत किया और अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने 9 वर्ष की विलंव को क्षमा कर रेस्पोडेंट का धारा 5 अवधि विधान का आवेदन दिनांक 23.09.2016 को स्वीकार कर लिया उक्त आदेश से

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3744—एक / 16 जिला —मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
12-1-18	आवेदक के अधिवक्ता विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जौरा जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 25 / 2015—16 / अपील में पारित आदेश दिनांक 23.9.16 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2—आवेदकगण के पिता श्री परमाल सिंह निवासी सरसेनी द्वारा भूमि खता कमांक 131 के बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर तहसीलदार जौरा द्वारा हिस्सा रकवा के अनुसार फर्द बटवारा नहीं होने से बटवारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जो उनके द्वारा दिनांक 23.9.16 को धारा—5 का आवेदन स्वीकार किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3—आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक कमांक 1 एवं उनके भाई स्व0 परिमाल सिंह ने ग्राम सरसैनी तहसील जौरा की भूमि का आपसी बटवारा किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—178 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया	

था। अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में अपील के साथ धारा–5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा 9 वर्ष के विलंब को क्षमा कर अनावेदकगण का धारा–5 अवधि विधान का आवेदन दिनांक 23.9.16 को स्वीकार कर लिया । उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसबिन्दु पर विचार नहीं किया कि अनावेदक कमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में 9 वर्ष पश्चात विलंब से अपील पेश की है, जिसका अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रत्येक दिन का स्पष्टी करण नहीं दिया गया है, जबकि न्याय का सिद्धांत है कि विलंब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है इससे उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23.9.16 विधि प्रकिया से उचित है उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात ही धारा–5 का आवेदन समाधान होने से ही स्वीकार किया गया है। **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0सी0 1353 से अनुसरित।**

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जौरा जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 25/2015—16/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.9.16 के उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य